

  
**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**  
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15633/2025

1. Mubarik S/o Rajjak, Aged About 35 Years, R/o Saamdika, Police Station Jurhara, District Deeg (Raj.) (At Present In Sub Jail Kaman, Deeg).
2. Sahjad S/o Rajjak, Aged About 25 Years, R/o Saamdika, Police Station Jurhara, District Deeg (Raj.) (At Present In Sub Jail Kaman, Deeg).
3. Vaseem S/o Jakar, Aged About 27 Years, R/o Saamdika, Police Station Jurhara, District Deeg (Raj.) (At Present In Sub Jail Kaman, Deeg).

-----Petitioners

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15634/2025

Sahil S/o Mehboob, Aged About 25 Years, R/o Village Pai Police Station Jurhera District Deeg (Raj.) (At Present Confined In Sub Jail Deeg).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

---

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| For Petitioner(s) | : Mr. Vikram Singh Chauhan, Adv.<br>Mr. Sanjay Khan, Adv. &<br>Mr. Shoaib Khan, Adv. |
| For Respondent(s) | : Mr. Sudesh Saini, PP                                                               |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS**

**Judgment / Order**

**10/12/2025**

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक पृथक यह दोनों जमानत प्रार्थना पत्र बी एन एस एस की धारा 483 के

अन्तर्गत पुलिस थाना जुरहरा, जिला डीग में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-336/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 303(2), 317(5), 340(2), 313, 61(2)(ए) बी एन एस व धारा 66डी आईटी एक्ट में पेश किये गये हैं।

चूंकि दोनों प्रकरण एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, अतः इनका निस्तारण एक साथ इस एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, प्रार्थीगण को प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किया गया है, अभियुक्तगण दिनांक 06.11.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं, प्रकरण में महत्वपूर्ण अनुसंधान हो चुका है, प्रकरण के निस्तारण में समय लगेगा, अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उन्हें जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्रों का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध साइबर फ्राड के प्रयास का आरोप है।

प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों एवं प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के यह दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्तगण 1. मुबारिक पुत्र रज्जाक 2. सहजाद पुत्र रज्जाक 3. वसीम पुत्र जाकर व 4. साहिल पुत्र महबूब की ओर से प्रस्तुत यह दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि

यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्तगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रुपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व **पचास-पचास हजार रुपये** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उन्हें अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J